# मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

## मंत्रालय

## वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक एफ-30/4/99/10/3 भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर, 1999

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)

मध्यप्रदेश, भोपाल

विषयः- अवरोध मूल्य निर्धारण प्रक्रियामें संशोधन ।

संदर्भः- आपकी टीप क्रमांक 262/दिनांक 12-5-99.

उपरोक्त विषय में संदर्भित टीप का कृपया अवलोकन करें । अवरोध मूल्य निर्धारण प्रक्रिया में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

1- अवरोध दरों का निर्धारण प्रत्येक 6 माह हेतु विगत 6 माहों की प्राप्त दरों के औसत को ध्यान में रखते हुए वर्ष में दो बार क्रमशः 1 अप्रैल एवं अक्टूबर को किया जाए ।

2- महाराष्ट्र में अपनायी जा रही पद्धति अनुसार नीलाम के दौरान अवरोध मूल्य घोषित नहीं किया जाये ।

3- लाट प्रस्तावित किय जाने से प्रथम दो नीलामों में अवरोध मूल्य से नीचे कोई लाट स्वीकृत नहीं किया जाये ।

उपरोक्त प्रस्ताव पर दिनांक 10-2-99 को आयोजित अंतर्विभागीय समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई है । यह व्यवस्था प्रायोगीक तौर पर छः माह के लिए तथा इसके पश्चात प्राप्त परिणामों की समीक्षा अंतर्विभागीय समिति में की जाए और उसके पश्चात स्थाई व्यवस्था लागू किये जाने पर विचार किया जाये ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

अनुराग श्रीवास्तव
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग